न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 94/2025(GCMS 2025/405)
(RTI No. 212242013505755)

शिवराज सैनी प्लॉट नं. 36, गली नं. 2, आदर्श बस्ती टोंक फाटक, जयपुर राजस्थान पिन–302015 मोबाईल नम्बर : 98871–29315

बनाम

तहसीलदार (राजस्व), श्रीकरणपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

17.11.2025

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी शिवराज सैनी स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया, तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 02.08.2025 की प्रथम अपील उपमहानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक, हनुमानगढ़ वृत के समक्ष पेश की थी, किन्तु अपीलार्थी की सूचना का सम्बन्ध तहसीलदार(राजस्व), करणपुर से होने के कारण उपमहानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक, हनुमानगढ़ वृत ने अपीलार्थी की अपील अपने पत्र 3062 दिनांक 26.09.2025 इस न्यायालय को प्रेषित की है। अपीलार्थी ने अपने आवेदन पत्र दिनांक 02.08.2025 से उप पंजीयक , पंजीयक एवं मुद्रांक विभाग, श्रीकरणपुर से सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे समय पर उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि शिवराज सैनी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 02.08.2025 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न एक बिन्दु की सूचना चाही थी :

मेरे जी.पी.एफ. खाता सं. 106426 में माह 8/93 से 4/94 तक वेतन में की गई कटौतियों का विवरण (GA-55-A) बनाकर भिजवाने बाबत।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:46:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), श्रीकरणपुर ने अपने पत्र 123 दिनांक 15.11.2025 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया

Manju
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रासांगिक पत्र द्वारा अपीलार्थी के अपील पत्र के सम्बन्ध में टिप्पणी व सम्बन्धित रिकार्ड निर्धारित तारीख पेशी पर भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया है। इस सम्बन्ध में निवेदन है कि अपीलार्थी शिवराज सैनी द्वारा दिनांक 05.08.2025 को सूचना के अधिकार अधिनियम में एक प्रार्थना पत्र माह 08 / 1993 से 04 / 1994 तक की जीपीएफ कटौती का जीए 55ए प्राप्त करने हेतु पेश किया था।

अपीलार्थी उक्त अवधि में उपपंजीयक कार्यालय, श्री करणपुर में कार्यरत रहा था एवं तत्समय उपपंजीयक कार्यालय श्री करणपुर, कार्यालय तहसीलदार श्री करणपुर से अलग स्वतन्त्र रूप से कार्यरत था तथा बाद में सन् 2004 में उपपंजीयक कार्यालय को समाप्त कर तहसील कार्यालय में मर्ज कर दिया गया। अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर कार्यालय में माह 08 / 1993 से 04 / 1994 तक के रिकार्ड तत्समय कार्यालय उपपंजीयक, श्रीकरणपुर के रिकार्ड को तलाशा गया, परन्तु उक्त रिकार्ड लगभग 31–32 वर्ष पुराना होने के कारण नहीं मिलने पर अपीलार्थी को तहसील कार्यालय के पत्रांक आरटीआई / 2025 / 86 दिनांक 04.09.2025 द्वारा इस सम्बन्ध में सूचित कर दिया गया था जिसकी प्रति संलग्न है।

इस सम्बन्ध में पुनः निवेदन है कि उक्त रिकार्ड को तलाशने के लिये इस कार्यालय में कार्यरत कार्मिकों की एक कमेटी का गठन किया गया है। अतः इस सम्बन्ध में आगामी तारीख पेशी / समय दिये जाने की कृपा करें ताकि कमेटी द्वारा रिकार्ड को पुनः तलाशा जा सके एवं रिकार्ड उपलब्धता के आधार पर सूचना अपीलार्थी को दी जा सके। अतः तथ्यात्मक रिपोर्ट श्रीमानजी की सेवा में आगामी कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), श्रीकरणपुर ने अपीलार्थी को उक्तानुसार जवाब दिया है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है [illegible]त अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही [illegible]** [illegible] में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे [illegible] दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:46:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए **सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), श्रीकरणपुर** द्वारा अपीलार्थी को जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, करणपुर को आदेशित किया जाता है वे अपीलार्थी की वांछित सूचना से सम्बन्धित रिकॉर्ड को पुनः तलाश करें और रिकॉर्ड उपलब्ध होने की स्थिति में अपीलार्थी को नियमानुसार सूचना उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति **सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व), श्रीकरणपुर** को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 17.11.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Manju

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Manju
Date: 2025.12.26 11:46:13 IST
Reason: SelfAttested